



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 22.03.2023

1. थाना दादरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधि० के अभियोग में वांछित चल रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 22.03.2023 को 01 अभियुक्त बैलू पुत्र रामस्वरूप निवासी बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 55 वर्ष को आर०वी०नार्थ लैण्ड तिराहा दादरी से गिरफ्तार किया गया है। अभि० बैलू उपरोक्त थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 0136/2023 धारा 2/3 (1) गैंगस्टर अधि० में वांछित चल रहा था। अभियुक्त बैलू उपरोक्त यशपाल तोमर पुत्र महेन्द्र तोमर निवासी डी-1, यूनेस्को अपार्टमेंट, पटपड़गंज नई दिल्ली, मूल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत गैंग का सक्रिय सदस्य है अभियुक्त गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु ग्राम चिटहैरा के अनुसूचित जाति / जनजाति के भूमिहीन एवं गरीब व्यक्तियों को आवण्टित पट्टे की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से पट्टेदारों को डरा धमकाकर एवं झूठे अभियोगों में फसाये जाने के भय में डालकर गांव में दहशत का माहोल बनाकर भूमिहीन पट्टेदारों की जमीन की अधीकृत कीमत से कम कीमत देकर हड़प लेना व उंची कीमत में बेचकर अवैध धन अर्जित करने जैसा कार्य किया गया।

अभियुक्त का विवरण-- बैलू पुत्र रामस्वरूप निवासी बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास --

1. मु०अ०सं० 0136/2023 धारा 2/3 (1) गैंगस्टर अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०सं० 278/2022 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०सं० 0280/2022 धारा 420/467/468/471/384/120बी भादवि व 31 लोक प्रतिनिधित्व अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

2. साईबर हैल्पलाइन मुख्यालय, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा गाडी बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 22/03/2023 को साईबर हैल्पलाइन मुख्यालय पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के द्वारा थाना सेक्टर-113 पुलिस के सहयोग से गाडी बुकिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपयों ठगी

करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग ने किराये पर कार देने के लिये एक फिशिंग वेबसाईट www.mahalaxmicarrental.in बनायी थी, जिसका प्रचार गूगल ऐड के माध्यम से किया जाता था। इनकी वेबसाईट पर बुकिंग का पेमेंट करने वाले ग्राहकों का डेबिट / क्रेडिट कार्ड नम्बर, सी.वी.वी नम्बर, कार्ड की एक्सपायरी डेट लेकर वाटसअप के माध्यम से ए.पी.के फाईल भेजकर एस.एम.एस फारवर्डिंग की स्क्रिप्ट भेजकर उनके खातों से जमा राशि निकालकर ठगी कर लेते हैं। जांच के दौरान 5 व्यक्तियों को 01 अदद लैपटॉप 05 फोन, एक अदद टैब, 03 अदद डेबिट कार्ड, 43 हजार रुपये समेत आदित्य अर्बन कासा सोसायटी सेक्टर-78 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अपने साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं। इनका अपराध क्षेत्र नोएडा दिल्ली एनसीआर सहित सम्पूर्ण भारत है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण द्वारा फिशिंग वेबसाईट www.mahalaxmicarrental.in बनवाकर गूगल ऐड /SEO के माध्यम से प्रचार किया जाता है, जिसमें रेंट पर कार लेने के इच्छुक व्यक्ति बुकिंग हेतु अपना आवेदन/रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे उनका मोबाईल नम्बर, नाम व बुकिंग डेस्टीनेशन आदि की डिटेल वेबसाईट पर सुरक्षित हो जाती हैं। इसके उपरान्त अभियुक्तगण वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले ग्राहकों को बुकिंग अमाउंट के लिये इसी वेबसाईट पर 101 रु. की ट्रांजेक्शन करने के लिये कहते हैं। फिशिंग वेबसाईट पर इस ट्रांजेक्शन के बहाने ग्राहकों के डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड नम्बर, सी.वी.वी नम्बर, एक्सपायरी डेट आदि डिटेल अभियुक्तगण को मिल जाती है। उक्त 101 रु0 की ट्रांजेक्शन फेल हो जाने पर अभियुक्तगण ग्राहकों को फिर काल करते हैं तथा वाटसअप के माध्यम से ए.पी.के फाईल भेजकर महालक्ष्मी की ऐप डाउनलोड यह बोलकर कराते हैं कि आपको बुकिंग में छूट मिल जायेगी, इस एपीके फाईल में एस.एम.एस फारवर्डिंग की स्क्रिप्ट होती, जिससे इन व्यक्तियों के मोबाईल पर आने वाले सभी एस.एम.एस अभियुक्तगण को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे ग्राहकों/उपभोक्ताओं के डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड से फोनपे/पेटीएम/ क्रेड आदि पेमेंट गेटवे के माध्यम से पैसा फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाल लेते हैं।

अभियुक्तगणों का विवरण--

1. अभि0 समीर खान पुत्र हनीफ खान निवासी मकान न 236 डी, अल्फा 1, ग्रेटर नोएडा
2. अभि0 सुनील नारंग पुत्र लीला कृष्ण नारंग निवासी हाउस न 5, गली न 2, पटेल नगर, हिसार, हरियाणा
3. अभि0 आकाश कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी प्लॉट 110, सूर्यकुंज, पार्ट 2, नजफगढ़ दिल्ली, 110043
4. अभि0 आकाश वासन पुत्र संजय वासन निवासी 2701, जवाहर नगर, आदमपुर, हिसार, हरियाणा
5. अभि0 अरबाज अली पुत्र दिलशाद अली निवासी 25/ए, जामिया नगर, बाटला हाऊस दिल्ली 110025

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 100/2023 धारा 420 भादवि व 66 आई टी एक्ट थाना सेक्टर 113 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक लैपटॉप
2. 05 फोन,
3. एक टैब
4. 03 डेबिट कार्ड
5. 43 हजार रुपये

3. थाना बिसरख पुलिस द्वारा फोन स्नैचिंग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 22.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा शराब के ठेके के पीछे पतवाड़ी से अभियुक्त 1.राजू पुत्र भूप सिंह निवासी पतवारी जय यादव का किराये का मकान थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता पन्ना पुरी पक्के बाग के पास थाना हापुड सिटी जनपद हापुड उम्र 24 वर्ष 2. टोनी पुत्र बुद्धपाल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पतवारी शिव मंदिर के पास थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर 3. गौरव पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम पतवाड़ी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 217/2023 धारा 379/356/411 भादवि में पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगणों का विवरण--

1. राजू पुत्र भूप सिंह निवासी पतवारी जय यादव का किराये का मकान थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता पन्ना पुरी पक्के बाग के पास थाना हापुड सिटी जनपद हापुड उम्र 24 वर्ष ।
2. टोनी पुत्र बुद्धपाल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पतवारी शिव मंदिर के पास थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
3. गौरव पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम पतवाड़ी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 217/2023 धारा 379/356/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

कब्जे से एक फोन वीवो (स्नैच किया हुआ) बरामद किया गया है ।

4. थाना बिसरख पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से धोखाधड़ी किये गये 04 लाख 80 हजार रुपये नकद बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक 22.03.2023 को हैबतपुर कब्रिस्तान से करीब दस कदम शाहबेरी की ओर जाने वाले रास्ते से अभियुक्त सोमीन्दर सिंह पुत्र जगवीर सिंह निवासी 719 पंचकुला कालोनी छपरोला लाल कुआ गाजियावाद मूल पता दौलत राम कालोनी दादरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को 480000/- रुपये 500-500 रुपये के 960 नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 218/2023 धारा 420/406/467/468/471/411 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण--

1. सोमीन्दर सिंह पुत्र जगवीर सिंह निवासी 719 पंचकुला कालोनी छपरोला लाल कुआ गाजियावाद मूल पता दौलत राम कालोनी दादरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 218/2023 धारा 420/406/467/468/471/411 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

04 लाख 80 हजार रुपये नकद (जिसमें 500-500 रुपये के 960 नोट)

5. थाना बिसरख पुलिस द्वारा, मोबाइल लूट करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 06 मोबाइल,02 मो0सा0 व 02 तमंचे 315 बार,02 जिंदा कारतूस बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 22.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्तों 1. सैफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम ताजपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर हाल पता अलीवर्दीपुर म0नं0-255 नियर भारत गैस एजेन्सी थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर 2. मुकेश पाल पुत्र विजय पाल निवासी अलीवर्दीपुर जलपुरा नियर भारत गैस एजेन्सी के पास पुस्ता रोड थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर 3. अतुल पुत्र जगवीर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर हाल पता गली नं-1 मकान नं0-47 कृष्णा नगर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद 4. कामिल पुत्र साजिद निवासी ग्राम खानपुर थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर हाल पता जलपुरा थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर को जलपुरा कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 06 मोबाइल,02 मो0सा0 व 02 तमंचे 315 बार,02 जिंदा कारतूस बरामद।

अभियुक्तगणों का विवरण--

1. सैफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम ताजपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर हाल पता अलीवर्दीपुर म0नं0-255 नियर भारत गैस एजेन्सी थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मुकेश पाल पुत्र विजय पाल निवासी अलीवर्दीपुर जलपुरा नियर भारत गैस एजेन्सी के पास पुस्ता रोड थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
3. अतुल पुत्र जगवीर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर हाल पता गली नं-1 मकान नं0-47 कृष्णा नगर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद
4. कामिल पुत्र साजिद निवासी ग्राम खानपुर थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर हाल पता जलपुरा थाना ईकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त सैफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 213/2021 धारा 380/457/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौ0नगर
2. मु0अ0सं0 214/2021 धारा 380/411/457/482 भादवि थाना इकोटेक 3 गौ0नगर ।
3. मु0अ0सं0 886/2016 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 219/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0सं0 220/2023 धारा 379/356/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
6. मु0अ0सं0 222/2023 धारा 414/482/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त मुकेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 886/2016 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 219/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 220/2023 धारा 379/356/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 222/2023 धारा 414/482/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त अतुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 301/2022 धारा 392/411 भादवि थाना बिसरख गौ0नगर
2. मु0अ0सं0 308/2022 धारा 414/411/482 भादवि थाना बिसरख गौ0नगर
3. मु0अ0सं0 309/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौ0नगर
4. मु0अ0सं0 886/2016 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 219/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 220/2023 धारा 379/356/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 222/2023 धारा 414/482/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त कामिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 886/2016 धारा 379 भादवि थाना सैक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 219/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 220/2023 धारा 379/356/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 222/2023 धारा 414/482/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 06 मोबाइल
2. 02 मो0सा0
3. 02 तमंचे 315 बार, 02 जिंदा कारतूस।

6. थाना इकोटेक 03 पुलिस द्वारा चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल, 01 तमन्या मय एक जिन्दा कारतूस बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 22.03.2023 को थाना इकोटेक -3 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्त मोनू पुत्र रामकिशोर निवासी जाहरवीर मन्दिर के पास चंपत कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को पैमी मास्टर कालोनी ट्रांसफार्मर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस, 01 तमन्या 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

अभियुक्त का विवरण--

मोनू पुत्र रामकिशोर निवासी जाहरवीर मन्दिर के पास चंपत कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 121/2023 धारा 411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 3,
गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 DL7SCE0275
2. एक तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस